

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो कभी नहीं होता कि इतने दिन के बाद हटाया जायगा अलबत्ता यह तो एग्जीमैट हो सकता है कि उन्हें इतने दिन तक रक्खा जायगा ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** मंत्री महोदय ने मेरे इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया कि कोई एग्जीमैट हुआ था या नहीं ?

**Mr. Speaker:** Any other signatory?

**Shri Priya Gupta rose—**

**अध्यक्ष महोदय:** कौलिंग प्रेशन नोटिस पर जिनके दस्तखत होते हैं सिर्फ उन्हीं माननीय सदस्यों को बुलाया जाता है ।

**Shri Priya Gupta (Katihar):** It is a fundamentally important point.

मेरा एक छोटा सा प्वाएंट है ।  
I will submit it in one minute.

**श्री हुकम चन्द कछवाय :** अध्यक्ष महोदय, मैं ने मंत्री जी से पूछा था कि जिन कर्मचारियों को रक्खा गया था तो उस समय क्या उनसे कोई ऐसा एग्जीमैट लिखवा लिया गया था कि इतने दिन तक उन से हम काम लेंगे? ऐसा कोई एग्जीमैट लिखवाया था यह मैं जानना चाहता हूँ ?

**Mr. Speaker:** Was there an agreement to keep these workers for any specified period?

**Shri Y. B. Chavan:** There was no question of any agreement as such.

**Mr. Speaker:** Papers to be laid on the Table.

**Shri Priya Gupta:** Could I ask for one clarification regarding the financial implication and economy?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है क्योंकि वे बहुत देर हाउस से गैरहाजिर रहे हैं । हाउस का फैसला इस बारे में है ।

**श्री प्रिय गुप्त :** इतने दिनों जो मैं गैर-हाजिर रहा वह सिर्फ इसलिए था कि जाघात्र

ग्रान्दोलन में हमारी सरकार ने मुझे गिर-फ्तार कर के जेल में रक्खा हुआ था ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब वह तो आपके और सरकार के बीच की बात है उसमें मेरा क्या कसूर है ?

12.13 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS UNDER THE CUSTOMS ACT AND THE CENTRAL EXCISE AND SALT ACT

**The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu):** Sir, I beg to lay on the Table—

(1) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:—

(i) G.S.R. 223 dated the 13th February, 1965.

(ii) G.S.R. 224 dated the 13th February, 1965.

(iii) G.S.R. 252 dated the 20th February, 1965.

[Placed in Library. See No. LT-3909/65].

(2) a copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944, making certain further amendments to the customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Rules, 1960:—

(i) G.S.R. 225 dated the 13th February, 1965.

(ii) G.S.R. 226 dated the 13th February, 1965.

(iii) G.S.R. 248 dated the 20th February, 1965.

[Placed in Library. See No. LT-3910/65].